

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(253)वित्त-1(1)आ.व्यय/2012/

जयपुर, दिनांक : 21.03.14

संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान ।

(स्वीकृति संख्या - 875 /2013-14)

विषय :- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 के राज्योंश की राशि का जिला परिषदों के पी.डी खातों में हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 4() परावि/पीसी/RGPSA/बजट/2013-14/459 दिनांक 18.3.2014 में अंकित शर्तों एवं साथ संलग्न सारणी के अनुसार संबंधित जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार कुल राशि रु. 3,10,39,815/- (अक्षरे राशि रु. तीन करोड दस लाख उन्तालीस हजार आठ सौ पन्द्रह मात्र) निम्न बजट मद में से व्यय दर्शाते हुए हस्तान्तरित कर दिया जावे :-

-:व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

बजट मद

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
196 - जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

भाग सं. -41	भाग सं. -41	भाग सं. 5:	कुल योग
(28)- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान [02]-कार्यकलाप/ गतिविधियां 12- सहायतार्थ अनुदान (गैर स्वतंत्र) (आयोजना)	(28)- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान [02]-कार्यकलाप/ गतिविधियां 93- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान (आयोजना)	(30)- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान [02]-कार्यकलाप/ गतिविधियां 93-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान (आयोजना)	
राशि रु. : 1,17,65,045	राशि रु. : 1,62,93,613	राशि रु. : 29,81,157	रु. : 3,10,39,815
अक्षरे राशि रु. एक करोड सत्रह लाख षसठ हजार पैतालीस मात्र	अक्षरे राशि रु. एक करोड बसठ लाख तिरानवे हजार छ सौ तैरह मात्र	अक्षरे राशि रु. उन्तालीस लाख ईकसती हजार एक सौ सतावन मात्र	अक्षरे राशि रु. तीन करोड दस लाख उन्तालीस हजार आठ सौ पन्द्रह मात्र

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषद का नाम, इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक, भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना दर्शाते हुए अंकित किया जावे।


उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के पालन का दायित्व प्रशासनिक विभाग/संबंधित विभाग का होगा तथा आवश्यकता होने पर निर्वाचन विभाग से अनुमति प्रशासनिक विभाग/संबंधित विभाग द्वारा प्राप्त की जाएगी।

— Sd—
(एम.एल. आचार्य)
शासन उप सचिव
वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, संबंधित राजस्थान।
5. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्युटर सैल) विभाग, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव
वित्त (बजट)